भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1319

(जिसका उत्तर सोमवार 08 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

विमुद्रीकरण का प्रभाव और परिणाम

1319. **सुश्री सयानी घोष:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवंबर 2016 में लागू की गई विमुद्रीकरण नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि काले धन पर अंकुश लगाने, नकली मुद्रा को कम करने एवं डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने जैसे इच्छित लक्ष्य किस हद तक प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विमुद्रीकरण के बावजूद 2025 में जनता के पास मुद्रा दोगुनी से अधिक हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या रोजगार, अनौपचारिक क्षेत्र एवं लघु उद्यमों पर विशेष रूप से उक्त नीति के कार्यान्वयन के तुरंत बाद के वर्षों के दौरान विमुद्रीकरण के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन या रिपोर्ट तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार विमुद्रीकरण के कारण आर्थिक विकास या नकदी प्रवाह पर होने वाले किसी अल्पकालिक या दीर्घकालिक व्यवधान को स्वीकार करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) सरकार का ध्येय काले धन के सृजन एवं प्रचलन को कम करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना है। भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 08 नवंबर, 2016 की राजपत्र अधिसूचना का.आ. 3407 (अ) जैसा कि उल्लेख किया गया है, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के वैध मुद्रा के दर्जे को वापस लेने के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: -

(i) विनिदष्ट बैंक नोटों के जाली करेंसी नोटों की बढ़ते मामलों को रोकने के लिए, जो बड़े पैमाने पर प्रचलन में थे।

(ii) बेहिसाब धन के भंडारण के लिए उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के उपयोग को सीमित करना।

(iii) नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद जैसी विध्वंसक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए जाली मुद्रा के उपयोग के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करना।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के वैध मुद्रा के दर्जे को वापस लेने के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 2017 में मैक्रोइकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन- ए प्रिलिमिर्नेरी असेसमेंट शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/MID10031760E85BDAFEFD497193995BB1B6DBE602.PDF)

आरबीआई के अनुसार, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी), जो 4 नवंबर, 2016 को ₹17.97 लाख करोड़ थी, और 27 जनवरी, 2017 को घटकर ₹10.7 लाख करोड़ हो गई थी, विमुद्रीकरण के तुरंत बाद, अब 17 अक्टूबर, 2025 तक बढ़कर ₹38.29 लाख करोड़ हो गई है। इसमें प्रचलन में बैंकनोट, ई₹ और सिक्के शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मुद्रा जनता/अर्थव्यवस्था की मांग से निर्धारित होती है । मुद्रा की मांग आर्थिक विकास और ब्याज दरों के स्तर सहित कई व्यापक आर्थिक कारकों पर भी निर्भर करती है।

(ङ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों से पता चलता है कि विमुद्रीकरण (2016-17 और 2017-18) के बाद के तत्काल वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर औसतन लगभग 7.1 प्रतिशत थी, जो यह दर्शाता है कि आर्थिक गति मजबूत बनी हुई है। लंबी अवधि में, भारत की वास्तविक जीडीपी 2016-17 और 2024-25 (महामारी प्रभावित वर्ष 2020-21 और 2021-22 को छोड़कर) के बीच 7.3 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी है, जो निरंतर घरेलू मांग और संरचनात्मक सुधारों के प्रभाव को दर्शाती है। इसलिए भारत विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।

2016-17 के बाद के वर्षों में नगदी की स्थिति भी स्थिर बनी रही। नगदी का एक प्रमुख संकेतक ब्रॉड मनी (एम3) 2016-17 और 2017-18 के दौरान 8.0 प्रतिशत की औसत दर से और 2016-17 और 2024-25 के बीच औसतन लगभग 9.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा। इसके अलावा, 2016-17 के बाद से डिजिटल भुगतान का तेजी से विस्तार 2016-17 में ₹579 करोड़ से बढ़कर 2025-26 (नवंबर 2025 तक) में ₹25.2 लाख करोड़ से अधिक होने से स्पष्ट है।

******